न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– राजीव द्विवेदी (RAS)

प्रकरण संख्या– 08 / 2019 रा.वा.   दायर दिनांक– 26.03.2019

फैसल दिनांक– 16-10-2019

1. श्री लाला पिता स्व. श्री काला जी जाति बलाई निवासी पहाडा तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)

— वादीगण—

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता स्व. श्री रूपाजी बलाई, उम्र वयस्क
2. श्री बाबुलाल पिता स्व. श्री रूपाजी बलाई, उम्र वयस्क
3. श्री विनोद कुमार पिता स्व. श्री रूपाजी बलाई, उम्र वयस्क
4. श्री महेश कुमार पिता स्व. श्री रूपाजी बलाई, उम्र वयस्क
5. श्रीमती तुलसी देवी पत्नी स्व. श्री रूपाजी बलाई, उम्र वयस्क सर्व निवासी पहाडा, तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री लक्ष्मीनारायण नायक
श्री अनील कुमार नायक

वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी सं.1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा पहाडा पटवार मंडल पहाडा की जमाबंदी संवत 2070—2073 के खाता नंबर 149 नई व 148 पुराना में वर्णित आराजी नंबर — 1006 रकबा 0.1800 हैक्टर तथा आराजी नम्बर 1015 रकबा 0.0900 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 0.2700 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि का मूल खातेदार रूपा, लाला पिता काला बलाई है। जमाबंदी संवत् 2070—2073 में दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मौके पर वास्तविक रूप से 1/2 हिस्से अनुसार आपसी समझ से अलग—अलग काष्त कर रहे है लेकिन रेकर्ड मे वादग्रस्त भूमि आज भी अविभाजित है और उक्त भूमि का वादीगण अपने इच्छानुसार सुधार, उपयोग—उपभोग करना चाहते है उसके लिए पक्षकारों के बीच में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो इसलिए कानूनी बंटवाडा कराने के वादीगण अधिकारी है ताकि पक्षकार अपने—अपने हक व हिस्से की भूमि पर अपने सामर्थ्य

सुधार निवेश इत्यादि कर भूमि को उन्नत कर सके। इसके लिए पक्षकारों के बीच में कानूनी बंटवारा नितान्त आवष्यक हो गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, से 5 को सम्मन तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगणों के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा वादीगण के मुख्य साक्ष्य PW1, PW2, PW3 पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली का विवेचन किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य दस्तावेजों का विवेचन किया गया तथा वादी वकील की बहस सुनकर मनन किया गया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि मौजा पहाडा पटवार मंडल पहाडा की जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता नंबर 149 नई व 148 पुराना में वर्णित आराजी नंबर 1006 रकबा 0.1800 हैक्टर तथा आराजी नम्बर 1015 रकबा 0.0900 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 0.2700 हेक्टेयर कृषि भूमि में वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/2 हिस्सा आता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के पिता श्री रूपा पिता काला फौत होने से नामान्तरण संख्या 296 विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण को 1/10 हिस्सा प्रत्येक का बनता है जिसे मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर पांति बटंवाडा सभी पक्षकरान की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया ।

तहसीलदार खेरवाडा द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे बंटवाडा प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थी लाला पिता रूपा बलाई को खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.13 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 शंकरलाल 1/5 बाबुलाल 1/5 विनोद 1/5 महेश कुमार 1/5 तुलसी देवी पत्नी रूपा 1/5 खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.05 हैक्टर, 1015 रकबा 0.09 कुल किता 2 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि पर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा

डिगरी व मुकदमे हब्तदाई

(आ 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत –सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी – खैरवाडा, जिला – उदयपुर (राज0)

इजलास – श्री राजीव द्विवेदी, आर.ए.एस.

श्री लाला पिता स्व. श्री कालाजी जाति बलाई
निवासी– पहाडा तह. खेरवाडा जि. उदयपुर

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता स्व. श्री रूपाजी जाति बलाई
2. श्री बाबुलाल पिता स्व. श्री रूपाजी जाति बलाई
3. श्री विनोद कुमार पिता स्व. श्री रूपाजी जाति बलाई
4. श्री महेश कुमार पिता स्व. श्री रूपाजी जाति बलाई
5. श्रीमती तुलसी देवी पत्नी स्व. श्री रूपाजी जाति बलाई उम्र वयस्क सर्व निवासी पहाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर

दावा – वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53–188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – 08/2019 राजस्व वाद

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू –

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं वादी का वाद बहक वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता व अन्तिम डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि प्रारम्भिक डिक्रीनुसार विवादित आराजी ग्राम – पहाडा पटवार हल्का पहाडा तहसील खेरवाडा में जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 149 नई व 148 पुरानी में स्थित आराजी नम्बर 1006, 1015 रकबा क्रमशः 0.1800, 0.0900 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2700 हेक्टर भूमि में वादी लाला पिता स्व. श्री कालाजी जाति बलाई निवासी पहाडा का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का 1/2 हिस्सा (राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार) का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए, विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार खेरवाडा द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड में एतद्नसार अन्तिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार खेरवाडा को अन्तिम डिक्री की पालना राजस्व रेकर्ड में किये जाने हेतु तहसीलदार खेरवाडा को आदेशित किया जाता है।

मुकलिन – श्री लाला पिता स्व. श्री कालाजी जाति बलाई बनाम – श्री शंकरलाल पिता स्व. श्री रूपाजी बलाई वगैरह खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शहर – फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलीणबी तक – का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05 माह 07 सन् 2019 को जारी की गई

दस्तखत –
ओहदा –

मुदई रूपया पैसा		मुदायता रूपया पैसा	
स्टाम्प अरजी दावा	5 रूपया	स्टाम्प अरजी वकालत नामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपया	स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		स्टाम्प वजह सबूत	
महनताना वकील (फा.)		महनताना वकील (फा.)	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
मुतफरिक	2 रूपया	मुतफरिक	
मीजान :–	9 रूपये	मीजान :–	

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा